

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 28 सितम्बर 2017

विषय:- कन्नौज में छिबरामऊ-सौरिख-बिधूना मार्ग (एमडीआर-13) किमी 0.000 से 31.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 21.6 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1554 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपको सम्बोधित एवं शासन को पृष्ठांकित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-465/11-सी- कानपुर/एफपी/यूपी/रोड/22879, दिनांक 17-8-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में अपेक्षित सूचनाओं एवं तत्संबंधी अभिलेख सी०डी० सहित मूल प्रतियां आपको प्रेषित करते हुये शासन को सूचित किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र दिनांक 17-8-2017 के द्वारा विषयगत प्रकरण में अपेक्षित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख सी०डी० सहित मूल प्रतियां आपको उपलब्ध करायी जा चुकी है। उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

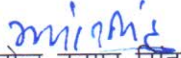

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या- 1926(1)/14-2-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव